समाहरणालय, मधेपुरा।

(जिला शस्त्र शाखा)

-: आदेश :-

विदित हो कि इस कार्यालय के ज्ञापांक 1835/श0, दिनांक 09-09-2013 के द्वारा मधेपुरा जिलान्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अपने-अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन एवं बायोडाटा विहित प्रपत्र में समर्पित करने हेतु दिनांक 04-10-2013 एवं 05-10-2013 का तिथि निर्धारित करते हुए आम सूचना जारी की गई थी। नैसर्गिक न्याय के तहत छूटे हुए अनुज्ञप्तिधारियों को अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराने हेतु पुनः 19-10-2013 की तिथि निर्धारित की गई थी। उसके वावजूद भी श्री सूरज यादव पे0 स्व0 रमेश चन्द्र यादव सा0 "आरसी" 4 रास बिहारी नगर, वार्ड नं0-18, थाना+जिला मधेपुरा द्वारा शस्त्र का भौतिक सत्यापन एवं डाटावेश समर्पित नहीं किए जाने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक 66/शस्त्र, दिनांक 12-12-2013 के द्वारा शस्त्र नियमावली-1962 के नियम-63 एवं आग्नेयास्त्र अनुज्ञप्ति की शर्त्त-9(ए) का उल्लंघन मानते हुए इनके नाम से निर्गत दो नाली बन्दुक अनुज्ञप्ति सं0-03/2008 को तत्कालिक प्रभाव से निलंबित करते हुए अनुज्ञप्तिधारी से स्पष्टीकरण पूछा गया था। अनुज्ञप्तिधारी से पूछे गए कारण पृच्छा का जवाव एवं बायोडाटा में सूचना अद्यतन समय तक प्राप्त नहीं हुआ है। अनुज्ञप्ति पुस्त की छायाप्रति अवलोकन से ज्ञात होता है कि इनका अनुज्ञप्ति वर्ष 2011 के बाद नवीकृत नहीं कराए हैं और न ही अगले वर्ष के लिए नवीकरण करने हेतु कोई आवेदन ही समर्पित किए हैं। अभी तक उक्त अनुज्ञप्ति शस्त्र विहीन है। ऐसा प्रतीत होता है कि अनुज्ञप्तिधारी कारण पृच्छा का जवाव या अपना पक्ष रखने के प्रति गंभीर नहीं हैं, जो अनुज्ञप्ति शर्त्तों का उल्लंघन के साथ-साथ मनमानेपन का द्योतक है।

अतएव उल्लेखित परिपेक्ष्य में अनुज्ञप्ति शर्त्त एवं शस्त्र अधिनियम की धारा-17 का उल्लंघन मानते हुए अनुज्ञप्तिधारी के नाम से निर्गत दो नाली बन्दुक अनुज्ञप्ति सं0-03/2008 को **रद्द** किया जाता है तथा अनुज्ञप्तिधारी श्री सूरज यादव पे0 स्व0 रमेश चन्द्र यादव सा0 "आरसी" 4 रास बिहारी नगर, वार्ड नं0-18, थाना+जिला मधेपुरा को आदेश दिया जाता है कि वे अपना अनुज्ञप्ति पुस्त (मूल) जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा में पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि श्री सूरज यादव द्वारा समर्पित मूल अनुज्ञप्ति पुस्त एवं शस्त्र शाखा में संधारित मूल अनुज्ञप्ति पंजी में " **रद्द** " प्रवृष्टि करवा कर हस्ताक्षर पृष्टांकित कर देंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

ह0/-

जिला दंडाधिकारी,

मधेपुरा।

ज्ञापांक 123 /शस्त्र, दिनांक 26-3-14

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/ थानाध्यक्ष, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री सूरज यादव पे0 स्व0 रमेश चन्द्र यादव सा0 "आरसी" 4 रास बिहारी नगर, वार्ड नं0-18, थाना+जिला मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

25/3/14

जिला दंडाधिकारी,

मधेपुरा।